छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

:: आदेश ::

अटल नगर, दिनांक 01/03/2019

क्रमांक/ 321 /वित्त/डीआईएफ/2019 : राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से किसानों द्वारा लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण माफी के संदर्भ में "सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों के लिये अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना – 2019" जारी करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

Nandanwar.
(विनीत नंदनवार)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृष्ठां. क्रमांक/322/वित्त/डीआईएफ/2019 अटल नगर, दिनांक 01/03/2019

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय।
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहाकारिता विभाग।
5. संचालक, संस्थागत वित्त, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
7. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर।
8. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
9. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन।
10. कलेक्टर–जिला समस्त, छत्तीसगढ़।
11. समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुख, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर को राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Nandanwar.
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु माफी योजना – 2019

प्रस्तावना :– छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, प्रदेश की एक बड़ी आबादी के आय का स्त्रोत कृषि आधारित है। कृषकों द्वारा कृषि कार्य हेतु विभिन्न बैंकों से अल्पकालीन कृषि ऋण लिया जाता है। प्रदेश में विगत कई वर्षों से अवर्षा एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल की क्षति होती आयी है, जिस वजह से किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। प्रदेश के कृषकों द्वारा विभिन्न मंचों के माध्यम से कृषि ऋण माफ करने हेतु सरकार से किये गये अनुरोध तथा प्रदेश की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों के व्यापक हित में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सहकारी बैंकों एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में समस्त किसानों के दिनांक 30 नवम्बर, 2018 तक का अल्पकालीन कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्रों के व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण लेने वाले कृषकों को लाभान्वित करने के लिये ऋण माफी हेतु वर्ष 2019–20 के बजट में प्रावधान एवं बजट भाषण में घोषणा की गयी है। इस निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार ऋण माफी योजना निर्धारित की जाती है :–

(01) संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :–

(एक) यह योजना ''सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु माफी योजना 2019'' कहलाएगी।

(दो) यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों से लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 पर बकाया हो, के लिये प्रभावशील होगी।

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा।

(02) परिभाषाएं

(एक) **कृषक :— "कृषक"** का अभिप्राय, ऐसे व्यक्ति से है जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो।

(दो) **सीमांत कृषक :— "सीमांत कृषक"** से अभिप्राय ऐसे कृषक से है जो अधिकतम 2.50 एकड़ तक भूमि धारण करता हो।

(तीन) **लघु कृषक :— "लघु कृषक"** से अभिप्राय, ऐसे कृषक से है जो 2.50 एकड़ से अधिक तथा 5.00 एकड़ तक कृषि भूमि धारण करता हो।

(चार) **बड़े कृषक :— "बड़े कृषक"** से अभिप्राय, ऐसे कृषक से है जो 5.00 एकड़ से अधिक कृषि भूमि धारण करता है।

(पांच) **स्थगित ऋण :— "स्थगित ऋण"** से अभिप्राय, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों पर अल्पकालीन कृषि ऋणों को एक वर्ष के लिए स्थगित किया गया हो।

(छः) **मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण :— "मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण "** से अभिप्राय, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों पर अल्पकालीन कृषि ऋणों को मध्यमकालीन ऋण में परिवर्तित किया गया हो।

(सात) **मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण :— "मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण "** से अभिप्राय, प्राकृतिक आपदा की स्थिति में शासन/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों पर मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण की किस्तों को पुनः परिवर्तित किया गया हो।

(आठ) **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक :— " सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक "** से अभिप्राय है, भारत सरकार की **बहुसंख्य** शेयर पूंजी (50 प्रतिशत से अधिक शेयर) वाले बैंक जिसे आगे 'बैंक' के नाम से उल्लेखित किया गया है। (सूची संलग्नक—1)

Handaru

(नौ) **अल्पकालीन कृषि ऋण :–** **"अल्पकालीन कृषि ऋण"** का अभिप्राय, सीधे किसानों को दिये गये अल्पावधि फसल ऋण से है।

(दस) **ऋण मान (Scale of Finance) :–** प्रत्येक हेक्टेयर फसल ऋण का निर्धारण, जो उक्त कृषि सीजन में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा निश्चित किया गया हो।

(ग्यारह) **संचालक, संस्थागत वित्त :– "संचालक, संस्थागत वित्त "** का अभिप्राय, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधीन कार्यरत संचालक संस्थागत वित्त से है।

(03) **ऋण माफी की पात्रता :–**

I. प्रदेश के सभी कृषकों का ऐसा अल्पकालीन कृषि ऋण/स्थगित ऋण/मध्यमकालीन परिवर्तित ऋण एवं मध्यमकालीन पुनः परिवर्तित ऋण जो दिनांक 30 नवम्बर, 2018 पर बकाया हो, ऐसी बकाया राशि माफ की जाएगी।

II. फसलवार ऋण माफी की सीमा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए धान की फसल के लिए निर्धारित ऋण मान अथवा फसल विशिष्ट के लिए निर्धारित **ऋण मान (Scale of Finance)** में जो भी राशि न्यून हो, वही ऋण माफी हेतु पात्र होगी।

(04) **योजना में अपवर्जन :–** इस योजना के अंतर्गत अल्पकालीन कृषि ऋण को छोड़कर शेष किसी भी प्रकार के मध्यमकालीन/दीर्घकालीन ऋण की माफी नहीं की जाएगी। ऋण माफी का लाभ केवल कंडिका–(02)(आठ) में दर्शित बैंक से लिए गये अल्पकालीन कृषि ऋण पर होगा। कार्पोरेट/पार्टनरशिप फर्म/ट्रस्ट को दिये गए कृषि ऋण पर ऋण माफी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित माईक्रोफाईनेंस संस्थान (MFIs) द्वारा वितरित किसी भी प्रकार के ऋण इस योजना में शामिल नहीं होंगे। खड़ी फसल के अतिरिक्त अन्य कृषि उत्पादों हेतु प्लेज एवं हाईपोथिकेशन के विरूद्ध दिये गये ऋण इस योजना में शामिल नही होंगे।

(05) **बैंकों से नेगोशियेशन एवं सेटलमेंट :–**

सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हेतु अनुमोदित ऋण माफी योजना 2018 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिये गये अल्पकालीन कृषि ऋण हेतु माफी योजना–2019 में माफ किये गये पुराने ऋणों के लिये समस्त बैंकों को राशि प्रदाय के संबंध में समस्त बैंकों से नेगोशियेट कर वन टाईम सेटलमेंट (ओ.टी. एस) की भांति देय राशि के निर्धारण हेतु समस्त अनुषांगिक कार्यवाही करने के लिये वित्त विभाग को अधिकृत किया जाता है।

(06) **ऋण माफी हेतु बजट** :– ऋण माफी हेतु आवश्यक बजट की मांग संबंधित बैंकों द्वारा अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से किया जावेगा।

(07) **ऋण देने वाली संस्था के दायित्व** :– ऋण देने वाले प्रत्येक बैंक इस योजना के अधीन पात्र कृषकों की सूची तथा प्रत्येक किसान के संबंध में ऋण माफी की सत्यता एवं विश्वसनीयता के लिये जिम्मेदार होगा। ऋण देने वाले बैंक द्वारा इस योजना के उद्देश्य से अनुरक्षित प्रत्येक प्रलेख, तैयार की गई प्रत्येक सूची और जारी किये जाने वाले प्रत्येक प्रमाण पत्र पर ऋण देने वाले बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं उसका पदनाम होना चाहिये।

(08) **लेखा परीक्षा** :– प्रत्येक ऋण देने वाले बैंक जिसने इस योजना के अधीन ऋण माफी दी है उसकी लेखा बहियॉ राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्याविधि के अनुरूप लेखापरीक्षा के अधीन होगी कि लेखापरीक्षा राज्य शासन द्वारा निर्धारित संगामी लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों या विशेष लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी। राज्य शासन किसी ऋण दाता बैंक के मामले में या उसकी किसी एक या अधिक शाखाओं को विशेष लेखा परीक्षा के निर्देश दे सकती है।

(09) **प्रचार–प्रसार** :– इस योजना में शामिल प्रत्येक ऋण देने वाले बैंक की प्रत्येक शाखा में इस योजना की एक प्रति प्रदर्शित की जाएगी।

Kaudaw.

(10) **ऋण मुक्ति प्रमाण–पत्र** :– भुगतान प्राप्त होने के उपरांत संबंधित बैंक शाखा द्वारा, किसानों का जो ऋण समायोजित होगा, उसका ऋण मुक्ति प्रमाण–पत्र किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) **उपयोगिता प्रमाण पत्र** :– ऋण माफी की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित बैंक द्वारा संचालक, संस्थागत वित्त को प्रस्तुत किया जाएगा।

(12) **व्याख्या एवं कठिनाई दूर करने की शक्ति** :– इस योजना के किसी पैराग्राफ या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश की व्याख्या करने में यदि कोई संदेह होता है, तो राज्य शासन द्वारा संदेह का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

यदि योजना के प्रावधानों या इस योजना के अंतर्गत जारी किसी अनुदेश को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य शासन कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन से उसे जो भी आवश्यक या तत्काल अपेक्षित प्रतीत होगा उसके अनुसार आदेश जारी करेगा।

———00———

संलग्नक –1

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची

1. इलाहाबाद बैंक
2. आन्ध्रा बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ोदा
4. बैंक ऑफ इण्डिया
5. आईडीबीआई बैंक
6. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
7. केनरा बैंक
8. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
9. कार्पोरेशन बैंक
10. इण्डियन बैंक
11. इण्डियन ओवरसीस बैंक
12. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स
13. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
14. पंजाब नेशनल बैंक
15. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
16. सिंडीकेट बैंक
17. यूको बैंक
18. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
19. यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया
20. देना बैंक
21. विजया बैंक

----0----